(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

प्रकरण संख्या : 07/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 24.01.2025 निर्णय दिनांक : 16.06.2025

1. जसवन्त पुत्र ग्यारसीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम आनन्दपुर तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड राज0 –प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी नीमराणा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0
2. रामलाल पुत्र मंगलराम जाति अहीर निवासी ग्राम आनन्दपुर तहसील मांढण जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0 – अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री समरसिंह यादव अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

निर्णय

दिनांक–16.06.2026

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी एवं नीमराणा के समक्ष प्रकरण संख्या 97/2022 बउनवानी रामलाल बनाम ग्यारसीलाल वगै0 विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी नीमराणा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता श्री वीर सिंह यादव ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1379 रकबा 0.71 है० वाके ग्राम आनन्दपुर तहसील मांढण जिला कोटपूतली बहरोड राजस्थान में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 1379 रकबा 0.71 है0 में 1/2 भाग का खातेदार मिन वादी व 1/2 भाग का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड सही दर्ज है तथा इसी प्रकार मिन वादी व प्रतिवादी संख्या 1 मौके पर अपने–अपने हिस्से की भूमि पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है। आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बीच बिना बंटी हुई सहखातेदारी की आराजी है इसलिए आराजी मुतनाजा के प्रत्येक इंच–इंच पर मिन वादी के हक व अधिकार निहित हैं। जब तक आराजी मुतनाजा का विधिवत रूप से तकासमा होकर अलग अलग खाताबन्दी नहीं हो जावे तब तक किसी भी सहखातेदार को आराजी मुतनाजा के किसी विशेष भू–भाग या विशेष खसरा नम्बर को अपना बताकर उसे दीगर जगह रहन बय हिबा या उस पर जबरन कब्जा कर किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कर मौका की स्थिति में परिवर्तन करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है लेकिन प्रतिवादी सख्या 1 द्वारा आपस में साजबाज होकर आराजी मुतनाजा के में मिन वादी को मिन वादी के हिस्से में काश्त करने में व्यवधान पैदा करते हैं तथा वादी के हिस्से को दबाते हैं, मना करने पर लडाई झगडा करतें हैं तथा आराजी मुतनाजा को बिना विधिवत रूप से तकसीम करवाये आराजी मुतनाजा के अच्छे–अच्छे भाग पर जबरन कब्जा कर व उसे अपना बताकर दीगर जगह मुन्तकिल करने की फिराक में हैं। प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ चुकी है जिस पर सामलात में काश्त किया जाना संभव नहीं रहा है। जो आराजी मुतनाजा के अच्छे–अच्छे भाग पर जबरन कब्जा करने पर उतारू हो रहे हैं तथा आराजी मुतनाजा कृषि भूमि के अच्छे–अच्छे भाग को अपना बताकर दीगर जगह बेचान करने की धमकी दी है तथा तकास्मा करवाने से भी साफ इन्कार कर दिया है। अप्रार्थी/वादी रामलाल पुत्र मंगलराम द्वारा एक वाद बअनुवानी रामलाल बनाम ग्यारसीलाल व अन्य का दावा पीठासीन अधिकारी से मिलीभगत कर अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा केवल खसरा नम्बर 1379 रकबा 0.71 है० वाके ग्राम आनन्दपुर तहसील मांढण का तकास्मा करने पर आमादा है तथा दिनांक 24.07.2023 को अधिनस्थ न्यायालय

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़

द्वारा प्राथमिक डिकी पारित कर दी गई जबकि वादी व प्रतिवादी के मध्य समझौता पत्र आपसी सहमति से सभी खसरा नम्बरों का लिखा जा चुका है तथा जिस पर प्रार्थी के पिता ग्यारसीलाल द्वारा न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के समक्ष अधिनस्थ न्यायालय की प्राथमिक डिकी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलांट ग्यारसीलाल द्वारा एक बंटवारानामा पेश किया जिसमें अपीलान्ट ग्यारसीलाल व रेस्पोडेन्ट रामलाल के मध्य इस बात पर सहमति बनी थी कि अन्य आराजीयात के साथ विवादित आराजी खसरा नम्बर 1379 रकबा 71 ऐयर का तरफ दक्षिण का 1/2 भाग ग्यारसीलाल को दे दिया इस बंटवारानामा/सहमति पत्र के अनुसार प्राथमिक डिकी जारी होनी चाहिए थी जिस सूरत में अपीलीय न्यायालय द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.07.2023 निरस्त करतें हुए प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वो दोनों पक्षों को सुनकर पुनः निर्णय पारित करें। लेकिन पीठासीन अधिकारी द्वारा अपीलीय न्यायालय के आदेश की कोई पालना नहीं की जा रही बल्कि अप्रार्थी रामलाल व उनके अधिवक्ता बार बार पीठासीन अधिकारी के चेम्बर में जाकर प्रकरण को गलत दिशा देने व प्रार्थी के साथ अन्याय की मंशा लेकर प्रार्थी के प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिसके कारण प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से कोई न्याय की उम्मीद नहीं है जिस पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थी रामलाल व उनके अधिवक्ता लगातार पीठासीन अधिकारी के सम्पर्क व अनेको बार अप्रार्थी व उनके अधिवक्ता को पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में आते जाते देखा जा रहा है। न्याय होने के लिये न्याय की यह मंशा रहती है कि न्याय की प्राप्ति के साथ साथ सभी पक्षकारो को यह प्रदर्शित होना चाहिये कि उन्हे न्याय प्राप्त होगा, यदि पक्षकारो को न्याय नही प्राप्त होने का अंदेशा हो तो प्रकरण को अन्य न्यायालय में हस्तान्तरण किया जाना विधि अनुरूप व न्यायसंगत है।

5. वकील अप्रार्थी पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अनुपस्थित रहने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अवसर बन्द किया गया।

6. उपखण्ड अधिकारी नीमराणा ने पत्रांक कोर्ट/2025/129 दिनांक 28.01.2025 के द्वारा प्रकरण के संबंध में बिन्दुवार टिप्पणी में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मनगढंत एवं बनावटी है जो स्वीकार योग्य नही हैं। अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन पत्रावली में कुर्रे कायमी रिपोर्ट तलब की गई है लेकिन राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा मौका व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश होने के कारण प्रकरण पुर्वानुसार ही विचाराधीन है। यदि प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किया जाता है तो अधिनस्थ न्यायालय को कोई आपत्ति नही हैं।

7. वकील प्रार्थी को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

8. प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। वकील प्रार्थी को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 16.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला कलक्टर
कोटपूतली-बहरोड़
कोटपूतली-बहरोड़